

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक: एफ 15(7)(6)/लाईट्स/विधि/आईसीडीएस/16-17/

जयपुर, दिनांक

117403-749

2-9-6-18

समस्त प्रभारी अधिकारी, (वाद)

मुख्यालय।

समस्त उप निदेशक, मबावि

समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी,

विषय:- लाईट्स सॉफ्टवेयर में न्यायिक प्रकरणों के दस्तावेज अपलोड करने, अवमानना प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत करने एवं ड्यू कोर्स प्रकरणों के इन्द्राज के संबंध में।

सन्दर्भ:- राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी लाईट्स के पत्र दिनांक 22.05.2018, 28.05.2018, 11.06.2018 एवं 18.06.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्रों के क्रम में विभागीय न्यायिक प्रकरणों में दस्तावेज अपलोड करने, अवमानना प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत करने एवं ड्यू कोर्स प्रकरणों का इन्द्राज करने बाबत निर्देशित किया गया है।

अतः समस्त प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय प्रकरणों से संबंधित दस्तावेज अपलोड करने एवं ड्यू कोर्स प्रकरणों का इन्द्राज/अपडेशन करवाना सुनिश्चित करावें। साथ ही अवमानना प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत करवाने से संबंधित अपेक्षित कार्यवाही यथाशीघ्र करवाकर न्याय विभाग की वेबसाइट लाईट्स पर जवाबदावा प्रस्तुत करने का इन्द्राज करवाना सुनिश्चित करावे।

उक्त निर्देशों का आप कठोरता से पालना करें अन्यथा विपरीत स्थिति में समस्त जिम्मेवारी आपकी होगी।

अति.निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं

राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ 15(7)(6)/लाईट्स/विधि/आईसीडीएस/16-17/

जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपि

1. राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी लाईट्स एवं उप शासन सचिव, मबावि, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अवलोड करवाने बाबत।

अति. निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं

राजस्थान जयपुर